

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली  
न्यायालय, लोकपाल, मनरेगा  
जिला- वैशाली


दिनांक	वाद संख्या-33/13-14 में पारित आदेश की प्रतिलिपि	अभ्युक्ति
28.11.13	<p>यह वाद श्री महेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम इमादपुर, हाजीपुर जिला-वैशाली के दिनांक 27.09.2013 के आवेदन-पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है।</p> <p>ग्राम पंचायत रघुनाथपुर इमादपुर में मनरेगा के अन्तर्गत उक्त पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है। न वृक्षारोपण हुआ है, न तालाब और नाला निर्माण का कार्य हुआ है।</p> <p>शिकायतकर्ता के शिकायत -पत्र के संदर्भ में कार्यक्रम पदाधिकारी, भगवानपुर से कारण पृच्छा प्राप्त हुए जांच कार्रवाई की मांग की गयी परन्तु कारण पृच्छा प्राप्त नहीं हो सका। दूरभाष से सम्पर्क स्थापित किये जाने पर भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो सका।</p> <p>अतएव दिनांक 13.11.2013 को मेरे द्वारा योजनाओं की स्थल जांच की गयी। मेरे साथ ग्राम पंचायत रघुनाथपुर इमादपुर के पंचायत रोजगार सेवक, श्री अरुण लाल पंडित एवं ग्राम पंचायत रघुनाथपुर इमादपुर के मुखिया पति श्री नरेश कुमार को साथ अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे।</p> <p>मेरे स्थल भ्रमण में योजना सं० 25/11-12, 06/10-11, 13/11-12, 14/11-12, 17/11-12, 20/11-12, 39/11-12, 41/11-12 तथा वृक्षारोपण योजनाओं का निरीक्षण किया गया।</p> <p>मेरे स्थल निरीक्षण में पाया गया कि योजना सं० 41/11-12 में भी सम्मिलित किये गये चार ग्रामीणों के कुँओं की मरम्मत के कार्यों में से एक श्री एम० मंडल के कुँआ का मरम्मत का कार्य नहीं हो सका था। पंचायत रोजगार सेवक द्वारा बताया गया कि जिन लोगों का कार्य नहीं हो सका है, उनकी कार्यों की मापी नहीं हुई है अर्थात् उनकी राशि खर्च नहीं की गयी है।</p> <p>योजना सं० 20/11-12 की जांच की गयी जिसमें चार पुलिया का निर्माण किया जाना था। मगर कार्य स्थल पर दो पुलिया का ही निर्माण किया गया था। पंचायत रोजगार सेवक द्वारा बताया गया कि उक्त योजना में कुल दो पुलिया बनाने की ही राशि खर्च की गयी है। कार्यस्थल पर चौड़ का पानी जमा रहने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। उक्त दोनों पुलिया के निर्माण कार्य में कुल 2,06,885/- रुपये ही खर्च हो पाये है जबकि उक्त योजनाओं की प्राक्कलित राशि 455000/- थी।</p> <p>वृक्षारोपण की योजनाओं की जांच की गयी। योजना सं०-01/11-12, 02/11-12, 03/11-12, 04/11-12, 05/11-12, 06/11-12, 07/11-12, 08/11-12, 09/11-12, 10/11-12, 11/11-12 तथा 12/11-12 में पौधों की संख्या प्रत्येक योजना में लगभग आधी के बराबर थी। पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया पति ने बताया कि वृक्षारोपण की सभी योजनाएँ अभी खुली हुई है। पौधों की संख्या कम रहने के कारण वनपोषक का भुगतान रोक दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय लोगो द्वारा पौधे को जलावन इत्यादि के कार्यों में उपयोग करने के कारण पौधे नष्ट हो गये है। इसलिए स्थानीय वनपोषक भी सफल नहीं हो पा रहे है। इन्हें बताया गया कि कार्य का सफल</p>	

क्रियान्वयन नहीं हुआ है। अतः उनका यह कार्य अवैधानिक है। मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक ने आश्वासन दिया कि पन्द्रह दिनों के अन्दर इस कार्य को पूर्ण क्रियान्वित कर दिया जायेगा।


पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया को निदेश दिया जाता है कि कार्य का क्रियान्वयन पूर्ण करें। उचित ऊँचाई एवं उचित किस्म को पौधे एक सप्ताह के अन्दर लगवा दें। इसका अनुपालन कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक करेंगे। अनुपालन प्रतिवेदन दो सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे।

इन्हीं निष्कर्ष के साथ इस वाद का निष्पादन किया जाता है।


हस्ताक्षर

  
लोकपाल, मनरेगा  
वैशाली।


ज्ञापांक 2333 / मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 28/11/13  
प्रतिलिपि: मुखिया, ग्राम पंचायत रघुनाथ इमादपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। पंचायत रोजगार सेवक, रघुनाथपुर इमादपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। कार्यक्रम पदाधिकारी, भगवानपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

  
लोकपाल, मनरेगा  
वैशाली।

ज्ञापांक 2333 / मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 28/11/13  
प्रतिलिपि: श्री महेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0- रघुनाथपुर इमादपुर, जिला- वैशाली को सूचनार्थ।

  
लोकपाल, मनरेगा  
वैशाली।

ज्ञापांक 2333 / मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 28/11/13  
प्रतिलिपि: उप विकास आयुक्त, वैशाली एवं जिला पदाधिकारी-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को सूचनार्थ।

  
लोकपाल, मनरेगा  
वैशाली।

ज्ञापांक 2333 / मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 28/11/13  
प्रतिलिपि: सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

  
लोकपाल, मनरेगा  
वैशाली।